VOL- XI ISSUE- III MARCH 2024 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 8.02 ISSN 2349-638x

कश्मीर सिंहावलोकन

(1989-98, 1999 से 2014 तथा 2014 के बाद)

डॉ.जोगेंद्रसिंह बिसेन

कश्मीर प्रकृति का अनमोल खजाना। दुनिया तथा भारत को प्रकृति का अनमोल उपहार। आसमान को चूमती श्वेत, बर्फिली चोटियाँ, उँचे – सीधे तनकर खड़े देवदार के वृक्ष, सेब - आक्रोड से लदे पेड, केसर की क्यारियाँ, झीलो-नहरों से सजा प्रदेश। तपस्वियों की भूमि कश्मीर। कश्यप ऋशि की भूमि कश्मीर। ऋषि कश्यप के नाम से ही कश्मीर नामकरण। किन्तु यह पूण्य पावन धरा आगे हिंसा और संहार का केंद्र बन गयी। जम्मू – कश्मीर का क्षेत्र तीन भागों में बँटा है। जम्मू, कश्मीर तथा लदाख। जम्मू में हिंदुओं की संख्या अधिक है, कश्मीर में इस्लाम धर्मियों की तथा लदाख में. हिंदु-बौध्दों की। कश्मीर इस्लाम प्रदेश है यह धारणा गलत है। इस संबंध में श्रीकांत जोशी लिखते है – " सन 1320 तक कश्मीर में एक भी इस्लामधर्मी अनुयायी नहीं था। 1320 में तुर्कस्थान से अब्दुल रहमान बुलबुल शाह नाम का पहला इस्लामधर्मी तुर्कस्थान से कश्मीर में आया।" 1

धीरे – धीरे इस्लामधर्मियों की संख्या कश्मीर में बढ़ती गयी। 1947 में आजादी के बाद तुरंत पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर हमला किया गया। कश्मीर की कुछ भूमि पर कब्जा किया। उस समय के प्रधानमंत्री पं. नेहरू जी ने यह विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैसे थे का आदेश दिया परिणाम स्वरूप कश्मीर के जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था वह प्रदेश पाकिस्तान के कब्जे में रहा। वह प्रदेश POK के रूप में संबोधित किया जाने लगा। कश्मीर के क्षेत्र के संदर्भ में शेषराव मोरे अपनी किताब कश्मीर एक शापित नंदनबन में लिखते हैं - " कश्मीर का कुल क्षेत्र 2,22,236 वर्ग किमी में से 78114 वर्ग किमी. पाकिस्तान के कब्जे में है तो 42735 वर्ग किमी. क्षेत्र चीन के।" 2

पाकिस्तान द्वारा पी.ओ.के. क्षेत्र में तथा पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र चलाये जाते हैं। जहाँ से प्रशिक्षित आतंकवादी भारत की भूमिपर आकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आतंकवादियों ने कश्मीर में आतंक फैलाया। कश्मीर घाटी से हिंदू पंडितों को निकालने के लिए भीषण प्रकार किये गये। 1989-1990 के दौर में कश्मीर की कुछ घटनाएँ कश्मीर की भीषण स्थिति का चित्र प्रस्तुत करती है।

1) आतंकी मकबूल भट्ट को फाँसी की सजा सुनानेवाले जज नीलकंठ गंजू की 1989 में रास्तेपर हत्या की गयी
2) गिरीजा टिक्कू शिक्षा संस्था में लॅब अटेंडंट के रूप में कार्य करती थी। 1989 में गिरिजा टिक्कू अपने परिवार के साथ जम्मू पलायन करती है। गिरिजा जम्मू में काम करने लगी।
3) 1990 में शिक्षा संस्था से संदेश आता है अब कश्मीर घाटी की स्थितियाँ सामान्य है। आतंकवादियों का आतंक समाप्त हुआ है आप अपना वेतन लेकर जा सकती हो। गिरिजा वेतन लेने जाती है। वेतन लेकर लौटते समय उसका अपहरण किया गया समूह ने बलात्कार किया और सबसे भयंकर लकडी काँटने की आरा मशीन से उसे चीर दिया गया।
4) कश्मीरी पंडितो को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए प्रचंड अत्याचार किये गये। कश्मीरी पंडितों के परिवार के पुरूषों को मार दिया गया, माता बहनों पर बलात्कार किये गये। खुले रूप में कहा गया पंडितों

कश्मीर छोडो, अपनी धन-संपदा और महिलाओं को यहाँ छोडो।

5) माता – बहनों की छातीपर, जंघाओं पर पाकिस्तान जिंदाबाद गोंद दिया गया।

6) जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में जगमोहन जी की नियुक्ति हुई। सितंबर 1991 में जगमोहन जी की किताब प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है - “MY FROZEN TURBULENCE IN KASHMIR” जिसका भारत की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक में कश्मीर के नरसंहार का, कश्मीर की स्थिति का वर्णन है। जिसमें राजनीति के गलत निर्णयों का अहसास भी होता है।

कश्मीर की इस स्थिति के लिए कई घटक जिम्मेदार हैं। उनमें से एक धारा 370 भी है। धारा 370 ने कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किये, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रदेश राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित नहीं हो पाया अथवा राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे यह प्रयास किया। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे का उद्घोष करते हुए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शहीद हुए। जिनकी मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है।

स्वाधीनता के समय से ही पाकिस्तान कश्मीर पर अपना अधिकार चाहता है। 1947 में पाकिस्तान द्वारा की कश्मीर में की घुसपैठी के बाद जिस प्रदेश पर पाकिस्तान ने कब्जा किया वह प्रदेश POK (Pak Occupied Kashmir) माना जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हम यह प्रदेश वापस नहीं ले पाये। इस प्रदेश में पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र चलता है और आतंकियों को भारत भेज निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है।

लेह – लदाख को भारत से विभक्त करने हेतु आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जिस प्रकार के कदम उठाये, जिसके फलस्वरूप 3 मई 1999 को कारगिल युध्द प्रारंभ हुआ यह युध्द 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चला। यह युध्द अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितिमें भारतीय जवानों ने लढ़ा। जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए। शहीद हुए 527 जवानों में से महाराष्ट्र के 25 जवान है। कारगिल युध्द से पहले शहीद हुए जवानों के पार्थिव गाँव नहीं भेजे जाते। किन्तु कारगिल युध्द के समय भारत के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी थे उन्होंने निर्णय लिया कि शहीद का पार्थिव शहीद के गाँव भेजा जाए तथा पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। अटलबिहारी वाजपेयीजी ने प्रारंभ की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युध्द समाप्ति की घोषणा हुई किन्तु उसके बाद भी यह युध्द चलता रहा। इसका प्रमाण यह है कि 26 जुलाई 1999 को युध्द विराम की घोषणा हुई किन्तु कारगिल युध्द में महाराष्ट्र के 25 जवान शहीद हुए उसमें से 9 जवान 26 जुलाई के बाद शहीद हुए अर्थात 26 जुलाई को भले ही युध्द विराम की घोषणा की गयी हो किन्तु 26 जुलाई के बाद भी यह युध्द चलता रहा। इस युध्द के समय आज की तुलना में भारतीय जवानों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। 2014 के बाद से आज तक भारतीय सेना हथियारों तथा अन्य सामग्री की दृष्टि से बहुत सक्षम हुई है।

1999 के बाद में देशभर में कई स्थानों पर आतंकी हमले हुए, बम विस्फोट हुए यहाँ तक की 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च भवन पर संसद पर भी हमला हुआ। 1999 से 2014 के बीच की आतंकी हमलों की सूची बहुत बड़ी है। यहाँ कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं –

1) 3 नवम्बर 1999 को श्रीनगर में आतंकविदायों का हमला 10 जवान शहीद
2) 1 अक्तुबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भवन पर हमला 38 लोगों की मौत

3) 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के कालूचक में हुए हमले में 21 जवान शहीद अन्य 36 लोगों की मौत
4) 24 सितम्बर 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमला 31 लोगों की मौत 80 घायल
5) 22 जुलाई 2003 जम्मू कश्मीर के अखतूर में आतंकी हमला 8 सुरक्षा कर्मी शहीद
6) 5 अक्तुबर 2006 श्रीनगर में हुए हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद
7) 31 मार्च 2013 श्रीनगर में आतंकवादी हमला 5 जवान शहीद
8) 24 जून 2013 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में 8 जवान शहीद

देशभर के आतंकी वारदातों की सूची बहुत बड़ी है । कश्मीर में अलगाव वादी आतंकवादियों से मिलकर हिंसाचार करते रहे किन्तु भारतीय जवानों को अलगाववादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की अनुमति नहीं थी परिणाम अलगाववादी, आतंकवादी भारतीय जवानों पर पत्थर फेंकते, हाथ भी उठाते, भारत विरोध नारे लगाते.

2014 के बाद भारतीय राजनीति मे परिवर्तन आया। और धीरे – धीरे कुछ निर्णय लिये गये। 2014 के बाद भी कुछ आतंकवादी हमले हुए जो इस प्रकार हैं –

1) 5 दिसंबर 2014 को उडी सेक्टर मे हुए हमले में 7 सैनिक शहीद हुए।
2) 2 जनवरी 2015 को पठानकोट एयर बस पर पाकिस्तानी 7 आतंकवादियों ने हमला किया।
3) 7 दिसंबर 2015 को अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले में 6 जवान शहीद हुए
4) 25 जून 2016 पंपोर में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले मे 8 जवान शहीद हुए।
5) 18 सितंबर 2016 उडी सेक्टर सेना कँप पर हुए आतंकवादी हमले मे 20 जवान शहीद हुए

2014 में भारत की केंद्र सरकार में हुए परिवर्तन के बाद देशभर में आतंकवादी घटनाओं में न केवल कमी आयी बल्कि आतंकवादी वारदाते नहीं हुईं । किन्तु जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवादियों द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। सेना पर पत्थर फेंके जा रहे थे। इन सबका कारण है संविधान की धारा – ३७० जिसके चलते कश्मीर को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे और सेना को कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व जम्मू – कश्मीर की सरकार की अनुमति आवश्यक थी। धारा 370 ने भारतीय सेना के हाथ बाँध रखे थे। 19 जून 2018 तक भाजपा और पी.डी.पी. के गठबंधन की सरकार कश्मीर में थी। लगभग 40 माह यह सरकार थी। 19 जून 2018 को यह गठबंधन हुआ।

5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने धारा 370 को निरस्त किया। साथ ही जम्मू-कश्मीर इस राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित किया। एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लेह-लदाख।

धारा 370 के निरस्त होते ही भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी कि यदि कोई देशद्रोही गतिविधि करता नजर आये तो उसपर तुरंत कार्रवाई करें। परिणाम पत्थर बाजी कम हुई। सेना पर हाथ उठाने का साहस समाप्त हुआ। देशद्रोही नारे नही लगाये जाते और यदि कोई नारे लगाता है तो तुरंत उसपर कार्रवाई होती है। श्रीनगर के लाल चौक में जहाँ पाकिस्तानी झण्डे लहराते थे, तिरंगा लहराने की अनुमति नही थी वह स्थितियाँ बदली और श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है।

सडक, रेलमार्ग में भी काफी सुधार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन में वृध्दि हो रही है।

14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला किया। 40 जवान शहीद हुए किन्तु भारत ने इस घटना के बाद 15 दिन से पहले ही 26 फरवरी 2019 को बालांकोट पर एअर स्टाईक कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक अर्थ से यह दर्शाया कि हम किसीपर अन्याय नहीं करते किन्तु

वर्तमान भारत किसी के व्दारा किया अन्याय भी नहीं सहेगा "घर में घुसकर मारेगा" यह वर्तमान भारत है।

वर्तमान केंद्र सरकार ने अब शहीदों के परिवार को दी जानेवाली राशि में वृद्धि की है। वह राशी एक करोड है। सेना को आधुनिक हाथियारों से संपन्न किया है। हर दीपावलि देश के प्रधानमंत्री सीमा पर जवानों के साथ मनाते हैं। जिससे जवानों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में सडक, रेलमार्ग में काफी सुधार हुआ है। जिससे पर्यटन में वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर की जनता को राष्ट्रीय प्रवाह में लाने के प्रयास जारी है।

संभव है समग्र कश्मीर पुन: भारत का होगा ।

निष्कर्ष

1) कारगिल युद्ध के समय से शहीद जवानों के पार्थिव गाँव भेजे जा रहे है यह विधि आज भी जारी है।
2) आज की तुलना में 1999 के कारगिल के युद्ध के समय तथा बाद में 2014 तक भारतीय सेना के पास आधुनिक हाथियारों की कमी थी।
3) धारा 370 5 अगस्ट 2019 को निरस्त की गयी।
4) अगस्त 2019 तक भारतीय सेना के जवानों के पास आतंकियों से लढ़ने के लिये अधिकार नहीं थे परिणाम हथियार होते हुए भी भारतीय जवान अलगाववादियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाते। अलगाववादी भारतीय जवानों पर पत्थर फेंकते, उनके खिलाफ नारे लगाते, हाथ तक उठाते थे किन्तु अगस्ट 2019 के बाद सेना के जवनों को खुली छूट दि गयी। कोई देशद्रोही कृति करता है तो सेना तुरंत कार्रवाई कर देती है।
5) घाटी में काफी शांतिका माहौल है।
6) वर्तमान भारत किसी पर अन्याय नहीं करेगा वैसे ही किसी के व्दारा अन्याय होता है तो वह नहीं सहेगा। मुँह तोड जवाब देगा।
7) 2014 के बाद की वर्तमान सरकार ने शहीद के परिवार को दी जानेवाली राशि में वृद्धि की है। यह राशि एक करोड है।
8) प्रधानमंत्री हर दीपावलि सरहद पर सेना के जवानों के साथ मनाते है जिससे सेना के जवानों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
9) 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध विराम की घोषणा 26 जुलाई 1999 को हुई। कारगिल में शहीद महाराष्ट्र के 25 जवानों में से 9 जवान 26 जुलाई के बाद शहीद हुए अर्थात 26 जुलाई को भले ही युद्ध विराम कि घोषणा हुई किन्तु उसके बाद भी युद्ध चलता रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1)जम्मू कश्मीर सफर नामा ले. श्रीकांत जोशी अनुवाद सुधीर जोगळेकर पृ.145
2)कश्मीर एक शापित नंदनवन – शेषराव मोरे – पृ.IX
3)सर्वेक्षण प्रश्नावलि